

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़

क्र० / 463 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 14

कोरबा दिनांक 28/2/2014

प्रति

✓ उपाध्यक्ष
(विस्तार परियोजना)
भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड
कोरबा

विषय :- राजस्व अनुभाग कोरबा के तहसील कोरबा ग्राम रिस्दी खसरा नं० 100,132,207 / 1 तथा ग्राम कुकरी चोली खसरा नं० 217 / 1 अ के अन्तर्गत आनेवाली राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

संदर्भ :- आपकापत्र क्र० / BALCO/1200/Transmission/09-2013/09Date-16-09-2013

—000—

विषयान्तर्गत 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रिड के 400 / 765 के.व्ही धरमजयगढ़ (कोरबा) पुलिंग स्टेशन तक 400 के.व्ही पारेषण लाईन के निर्माण बाबत 1.535 हे० राजस्व वन भूमि के संबंध में प्रमाण पत्र बाबत निवेदन किया गया है ।

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा नं०	रकबा हे० में	प्रस्तावित रकबा हे० में	अन्य विवरण
1	रिस्दी	100	0.101	0.051	बड़े झाड़ का जंगल
2		132	8.176	0.197	बड़े झाड़ का जंगल
3		207 / 1	65.590	0.627	बड़े झाड़ का जंगल
4	कुकरी चोली	217 / 1क	11.939	0.660	बड़े झाड़ का जंगल
			85.806	1.535	

अनुविभागीय अधिकारी रा० कोरबा एवं संयुक्त से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित ब्यक्तियों को वन अधिकार पत्र वितरण करने एवं टावर लाईन में प्रभावित नहीं होना प्रतिवेदित है ।


क्र०	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र प्राप्त ब्यक्तियों का नाम	खसरा नं०	रकबा हे० में
1	कुकरी चोली	रामेश्वर सिंह आ० फूलसिंह	217 / 1क	0.405
2		रामप्रसाद आ० सुखराम		0.101
3		उमठावन आ० दाउराम		0.162
4		अस्काबाई पति मंगल सिंह		0.405
5		जेठूराम आ० रामप्रसाद		0.243
6		मोतीराम आ० हीराराम		0.607
7		पतिराम आ० हीराराम		0.607

//2//

8		भागवत सिंह आ० अवधराम	0.243
9		धतुरसिंहआ०ईशराम	0.607
10		हरीयर आ० विश्राम	0.162
11		बबलू आ दुबराज	0.162
		योग -11	3.704

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रकबा 1.535 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

- (1) यह अनापत्ति मात्र उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर 1200 मेगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रिड के 400 / 765 के.व्ही धरमजयगढ़ (कोरबा) पुलिंग स्टेशन तक 400 के.व्ही डबल परिपथ पारेषण लाईन के निर्माण के लिये दी जा रही है । इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा ।
- (2) संचरण पथ के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावित होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ।
- (3) उक्त संचरण पथ के निर्माण से यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाब-दारी आवेदक संस्थान की होगी ।
- (4) इस अनुमती के द्वारा भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है ।
- (5) पारेषण लाईन निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमती सक्षम न्यायालय से लिया जाना होगा ।


(रजत कुमार)
कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)

पृ०क० / / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 14

कोरबा दिनांक

प्रतिलिपि :- 1 वन मंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

2 अनुविभागीय अधिकारी रा० कोरबा की ओर सूचनार्थ ।

3 तहसीलदार कोरबा की ओर सूचनार्थ ।


(रजत कुमार)
कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)